फर्द अहकाम (नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी।

अनवानः–विनोद कुमार बनाम भूपसिंह आदि

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वाद संख्या 80/2026

…व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हो
….2026	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवकता राजस्थान काश्तकरी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के सलंग्न दस्तावेजो व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त भूमि चक 6 केएचआर के खाता स0 86/89 में कुल 4.554 है0 में अप्रार्थी स0 1 के नाम से 4619/22770 हिस्सा अप्रार्थीया स0 2 के नाम से 211/1518 हिस्सा को रहन, बैय, मुतंकिल न करे। उक्त अंतरिम स्थगन आदेश सरकारी रास्ता व खाला पर लागू नही होगा। अधिवकता प्रार्थी, अप्रार्थीगण की तलबी रजिस्टर्ड ए.डी. से करवाकर रसीदे पांच दिवस में पेश करे अन्यथा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः खारिज हो जावेगा। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 08.05.2026 को पेश हो। (सत्यनारायण आर ए एस) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी	
29/4/26	प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश मे ली गयी, प्रार्थी हस्तगत प्रकरण आगे नही चलाना चाहते, प्रा० पत्र शा० पत्रावली किया, प्रार्थना पत्र ~~वर्तमान~~ स्वीकार किया जाकर हस्तगत प्रकरण	विनोद

वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(सत्यनारायण RBS)